भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2635

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बौद्धिक संपदा अधिकार तंत्र

2635. श्री आदित्य यादवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के घरेलू नवप्रवर्तकों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अधिक आक्रामक तेवर अपनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह ध्यान में रखते हुए कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक हमारी आईपीआर प्रणाली रक्षात्मक रही है क्योंकि हमने यह मानकर शुरुआत की थी कि भारतीय नवप्रवर्तक अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत में एक मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील बौद्धिक संपदा (आईपी) ढांचा मौजूद है, जो ट्रिप्स और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आईपीआर संधियों और समझौतों के अनुरूप है। भारत की आईपीआर प्रणाली अधिकार-धारकों के हितों और व्यापक जनहित के बीच बेहतर संतुलन बनाती है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों से सुदृढ़ बना यह विधायी ढांचा, बौद्धिक संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थिर और कुशल आधार प्रदान करता है और घरेलू आवेदकों सहित सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

भारत में आईपी ईकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ तथा बेहतर बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने पिछले एक दशक में, नवप्रवर्तन और रचनात्मकता की रक्षा और सहायता करने तथा सभी क्षेत्रों में आईपी सृजन और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु कई प्रशासनिक

उपाय और विधायी सुधार शुरू किए हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय उपायों में वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आईपीआर नीति की शुरुआत करना शामिल है, जिसने आईपीआर संरक्षण के लिए भारत में एक नई रणनीति और दृष्टिकोण की नींव रखी। इसके बाद आईपी दायर करने और इस पर कार्रवाई करने को सरल बनाने तथा प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने के लिए आईपी नियमों में संशोधन किए गए। कई प्रमुख पहलों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, फाइलिंग शुल्क में कमी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत, आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण और इन पर कार्रवाई में लगने वाली समयावधि में कमी करना शामिल है, के कारण आईपीआर (पेटेंट, डिज़ाइन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जीआई) प्राप्त करना अत्यंत आसान हो गया है। मार्च 2024 में पेटेंट नियमों में हालिया संशोधनों के माध्यम से, भारत में पेटेंट प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया को आसान बनाने, अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और पेटेंट अभियोजन प्रक्रिया में अधिक निश्चितता लाने के उपाय शुरू किए गए हैं। वर्ष 2023 में जन विश्वास अधिनियम के जरिए शुरू किए गए परिवर्तनों के माध्यम से, व्यवसायों के लिए विनियामक सुगमता लाने हेतु विभिन्न आईपीआर के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया गया है। पिछले दशक के दौरान उठाए गए कदमों और कार्यकलापों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

शुरू किए गए उपायों और पहलों के कारण, भारतीय निवासियों के बीच बौद्धिक संपदा कार्यकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय निवासियों द्वारा दायर बौद्धिक संपदा आवेदनों में 44% की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या वर्ष 2020-21 के 4,77,533 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 6,89,991 तक पहुंच गई है। भौगोलिक संकेतकों (जीआई) में सबसे अधिक 380% की वृद्धि हुई है, इसके बाद डिज़ाइन (266%), पेटेंट (180%), कॉपीराइट (83%), ट्रेडमार्क (28%), और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिज़ाइन (एसआईसीएलडी) में 20% की वृद्धि हुई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2635 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>पिछले एक दशक में उठाए गए प्रमुख कदमों और कार्यकलापों का विवरण</u>

1. **राष्ट्रीय आईपीआर नीति-** राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर नवप्रयोग, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

2. **अपराधों का गैर-अपराधीकरण-** आईपी अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाते हुए व्यापार करने की प्रक्रिया में आसानी के लिए जन विश्वास अधिनियम, 2023 को लागू किया गया है। विशिष्ट मामलों में आपराधिक दंडों को सिविल जुर्माने से प्रतिस्थापित करके, यह अधिनियम व्यापार-अनुकूल विनियामक वातावरण को प्रोत्साहित करते हुए व्यवसायों के लिए कानूनी अनुपालन के बोझ को कम करता है। इसने उल्लंघनों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित न्यायनिर्णयन और अपील तंत्र भी शुरू किया है। इन सुधारों को संतुलित और सुविधाजनक बौद्धिक संपदा ईकोसिस्टम का निर्माण करके अनुपालन को प्रोत्साहित करने और नवप्रयोग तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

3. **आईपीआर नियमों में उचित संशोधन-** आईपी आवेदनों को आसानी से दायर करने और प्रोसेस करने तथा जांच और निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, आईपी आवेदनों की प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित और सरल बनाने, अनियमितताओं और बाधाओं को दूर करने तथा आईटी और उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक संपदा नियमों में कई बार संशोधन किया गया है।

4. **आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण**

   - आईपी कार्यालयों को डिजिटाइज किया गया है और उन्हें ऑनलाइन बनाया गया है ताकि प्रणाली को अधिक सुगठित, समयबद्ध, पारदर्शी और आवेदकों के साथ-साथ परीक्षकों तथा रजिस्ट्रार/नियंत्रकों के लिए प्रयोग में लाए जाने हेतु आसान बनाया जा सके। पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न आवेदनों व दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रस्तुतीकरण के लिए व्यापक ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। आवेदकों को अब अपने पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों को दायर करने और उन पर कार्यवाही के लिए आईपी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। 95% से अधिक पेटेंट और व्यापार चिह्न आवेदन अब ऑनलाइन दायर किए जाते हैं।

- **आईपी कार्यालय के वेबसाइट** को पुनः डिजाइन किया गया है ताकि इसकी विषय-वस्तु में सुधार और एक्सेस में आसानी हो तथा इसे और अधिक इंटरैक्टिव, सूचनापरक व नैविगेट करने में आसान बनाया जा सके। आईपी आवेदनों की फाइलिंग और उस पर कार्यवाही के संबंध में आईपी डाटा को वेबसाइट पर रीयल टाइम आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। यह वेबसाइट, हितधारकों को आईपी की जानकारी के निर्बाध प्रचार-प्रसार के लिए लॉगिन-फ्री सर्च की सुविधा प्रदान करती है।

5. स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क में व्यापक रियायतें दी गई हैं।

- स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट के मामले में शुल्क में 80% की कमी;
- स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए डिजाइन में शुल्क में 75% की कमी;
- स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए व्यापार चिह्न दायर करने हेतु शुल्क में 50% की कमी

6. जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रावधान शुरू किए गए हैं

- पेटेंट नियम, 2003 (यथासंशोधित) के नियम 24 (ग) के तहत स्टार्टअप्स, एमएसएमई, महिला आवेदकों और सरकारी संस्थानों/विभागों/पीएसयू, अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए भारत को प्राधिकरण चुनने वाले आवेदकों आदि के लिए पेटेंट आवेदन की तेजी से जांच करने का प्रावधान शुरू किया गया है।
- व्यापार चिह्न आवेदनों की तेजी से जांच करने का प्रावधान सभी श्रेणी के आवेदकों पर लागू है।

7. पेटेंट प्राप्त आविष्कारों में आविष्कारकों के योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता देने और नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट में **'आविष्कार प्रमाण-पत्र'** की शुरुआत की गई है।

8. आईपी डैशबोर्ड एक्सेस और उसकी विशेषताएं- पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेतकों सहित बौद्धिक संपदा आवेदनों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में रीयल टाइम आधार पर व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक रूप से सुलभ आईपी डैशबोर्ड शुरू किया गया है। इस डैशबोर्ड को आधिकारिक वेबसाइट ipindia.gov.in/dashboard के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए इस वेबसाइट के होमपेज पर डैशबोर्ड का एक क्विकएक्सेस लिंक भी उपलब्ध है।-

9. एआई-संचालित ट्रेडमार्क सर्च टेक्नालॉजी: आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित ट्रेडमार्क सर्च प्रौद्योगिकी भी शुरू की गई है, ताकि इससे

अधिक कुशल व सटीक जांच की जा सके और ट्रेडमार्क आवेदनों का तेजी से निपटान किया जा सके।

10. **आईपी सारथी चैटबॉट:** आईपी पंजीकरण प्रक्रियाओं को नैवीगेट करने वाले उपयोगकर्ताओं की तत्काल सहायता और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक डिजिटल सहायक डिजाइन किया गया है। भारत के छोटे व्यवसाय, चैटबॉट पर प्रश्नों के उत्तर पूछकर आईपीआर संबंधी सहायता तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।

11. **"डब्ल्यूआईपीओ आईपी डायग्नोस्टिक्स- भारत के अनुरूप अनुकूलन",** एक स्व-मूल्यांकन

टूल है, जिसे छोटे व्यवसायों को अपनी बौद्धिक संपदा (आईपी) परिसंपत्तियों का स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय आईपी कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा स्थानीय उदाहरणों से समृद्ध मार्गदर्शन प्रदान करता है। लक्षित प्रश्नों के उत्तर देकर, भारत के छोटे व्यवसाय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रिपोर्टें तैयार कर सकते हैं। ये रिपोर्टें यह जानकारी प्रदान करती हैं कि भारत की आईपी प्रणाली उनके रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों की दिशा में किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकती है। व्यापक कवरेज के लिए, इस टूल को अनेक भाषाओं जैसे अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तमिल और उर्दू में उपलब्ध कराया गया है।

12. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (नीपम)-** महानियंत्रक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (नीपम) का कार्यान्वयन करता है। वर्ष 2021 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 10 लाख छात्रों को शिक्षित करना है। अब तक, सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 9500 बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 25 लाख से अधिक छात्र और शिक्षक शामिल हुए हैं।

13. **एसआईपीपी स्कीम-** पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन आवेदनों की फाइलिंग और उस पर कार्यवाही करने के लिए स्टार्टअप्स को निःशुल्क सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) स्कीम शुरू की गई थी। टीआईएससी की सेवाओं का प्रयोग करने वाले भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को लाभ प्रदान के लिए इसका दायरा बढ़ाया भी गया है। इसके अतिरिक्त, अब इसमें भारत में दायर (प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन), अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, डब्ल्यूआईपीओ (आरओ/आईबी) और भारत को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में चुनने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन भी शामिल हैं।

14. **जनशक्ति वृद्धि:** हितधारकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए आईपी कार्यालय में जनशक्ति में कई गुना वृद्धि की गई है।

क. पेटेंट कार्यालय की स्वीकृत कार्मिक संख्या में 233% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 के 431 से बढ़कर वर्ष 2024 में 1,433 हो गई है। इसी प्रकार, तैनात कार्मिकों की कुल संख्या में 196% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 के 281 से बढ़कर वर्ष 2024 में 833 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 553 नए परीक्षकों की भर्ती की गई है, जिनमें से 407 ने प्रवेश कालिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

ख. इसी प्रकार, ट्रेडमार्क, जीआई और कॉपीराइट में 200 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्वीकृत संख्या में 74% की वृद्धि हुई है।

15. सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र- आईपी कार्यालय में एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसे शिकायतों और समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए और भी सशक्त बनाया गया है। हितधारकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी दैनिक रूप से प्रत्यक्ष वार्ता को सुगम बनाने के लिए डेली ओपन हाउस कॉन्फ्रेंस (जन सुनवाई) की व्यवस्था शुरू की गई है। बौद्धिक संपदा के सभी प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में ओपन हाउस आईटी हेल्पडेस्क बनाया गया है।

*****